# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 63/2017 (223 आरटीए) राणुसिंह वगै. बनाम दुर्गसिंह वगै

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00261)

1 राणुसिंह पुत्र श्री रिडमलसिंह,
2 सोहनसिंह पुत्र श्री रिडमलसिंह,
3 नरपतसिंह पुत्र श्री रिडमलसिंह,
4 अजीतसिंह पुत्र श्री दलपतसिंह के कायम मुकाम
4/1 गोमदसिंह पुत्र स्व. श्री अजीतसिंह,
4/2 नगेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री अजीतसिंह,
4/3 नेणकंवर पत्नी स्व. श्री अजीतसिंह,
5 खींवसिंह पुत्र दलपतसिंह,
6 प्रेमसिंह पुत्र दलपतसिंह,
7 तेजसिंह पुत्र दलपतसिंह,
8 भंवरसिंह पुत्र राणुसिंह,
9 जेठूसिंह पुत्र राणुसिंह,
10 पेंपसिंह पुत्र राणुसिहं,
11 जितेन्द्रसिंह पुत्र राणुसिंह,
12 सोहनकंवर पत्नी राणुसिह,
13 समुन्दरसिंह पुत्र लूणसिंह,
14 तनेरावसिंह पुत्र लूणसिंह,
15 पवनकंवर पत्नी लूणसिंह,
जातियान राजपूत, निवासीगण बरजासर, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

**बनाम**

1 दुर्गसिंह पुत्र शैतानसिंह,
2 चैनसिंह पुत्र हणुतसिंह,
3 रघुनाथसिंह पुत्र शैतानसिंह,
जातियान राजपूत, निवासी बरजासर, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
4 ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स खींचन जरिए शाखा प्रबंधक
प्रफोर्मा पक्षकार
5 अजीतसिंह के कायम मुकाम –
5/1 अमरसिंह पुत्र स्व. अजीतसिंह,
5/2 गंवरी कंवर पुत्री स्व. अजीतसिंह,
5/3 पुष्पकंवर पुत्री स्व. अजीतसिंह
जातियान राजपूत निवासीगण बरजासर, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।



23/10
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

## अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 30.05.2017 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 256/2012

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदिसंह बांवरला।
2 रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी. चौधरी।
3 रेस्पों सं. 4 की ओर से अधिवक्ता श्री एन.आर. बुढ़ानिया।
4 रेस्पो. सं. 5 के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश भादू।

### निर्णय

दिनांक : 23.10.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर फलोदी के राजस्व वाद सं. 256/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरुद्ध रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव थाटो की ढाणी तहसील फलोदी में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 473 रकबा 71 बीघा 12 बिस्वा आई हुई है। जो वक्त भू–प्रबंध में कल्याणसिंह पुत्र बादरसिंह व दलपतसिंह, रिडमलसिंह, भोपालसिंह, पुत्रगण बादरसिंह बहिस्सा बराबर सरहद बरजासर में पैमाईस होकर राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई, कल्याणसिंह लाऔलाद फोत होने पर उनका हिस्से उनके तीनो भाइयों में निहित हो गया तथा राजस्व अभिलेख में तीनों भाइयों दलपतसिंह, रिडमलसिंह व भोपालसिंह का बराबर–बराबर दर्ज हो गया। भोपालसिंह ने उपरोक्त संपूर्ण वादग्रस्त भूमि का दिनांक 24.06.1977 को रेस्पो. सं. 1 व 2 को बेचान कर दिया। जबकि भोपालसिंह का वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा था, 1/3 हिस्से से अधिक दलपतसिंह व रिडमलसिंह का 2/3 हिस्सा बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। भोपालसिंह के द्वारा अपने 1/3 हिस्से से अधिक किया गया बेचान वादीगण के खातेदारी हकूकों के विरुद्ध प्रभाव हीन करार होने की घोषणा करवाने के हकदार हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। रेस्पो. /प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से उक्त वाद का जवाब दावा प्रस्तुत न कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

23/10
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि का पारिवारिक बंटवारा दिनांक 13.04.1972 को तहसीलदार के द्वारा किया बंटवाड़ा अनुसार वादग्रस्त भूमि भोपालसिंह के हिस्से में आई थी व भोपालसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई तथा वादी के द्वारा व्यवहार कारण नहीं बताने एवं बेचान को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने वादीगण का वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया। वादीगण/अपीलांट्स की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है न ही संपूर्ण वादग्रस्त भूमि भोपालसिंह के हिस्से रखी गई। जमाबंदी संवत 2047–50 में खसरा नं. 473 की वादग्रस्त भूमि रिडमलसिंह, भोपालसिंह व दलपतसिंह के नाम अंकित कर खाता बहाल किया गया, वादीगण ने वाद के पद सं. 5 व 8 में प्रतिवादीगण के विरुद्ध व्यवहार कारण प्रकट होने का उल्लेख किया है। भोपालसिंह को अपने हिस्से से अधिक बेचान करने का अधिकार नहीं हैं। वादीगण ने खातेदारी अधिकारी घोषणा का वाद पेश किया है जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है, प्रतिवादीगण ने वाद को लंबा करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है, उपरोक्त ऐतराज जवाबदावा में उठाने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण/अपीलांट्स का वाद खारिज किये जाने का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदिसंह बांवरला ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में मौजा सरहद थाटों की ढाणी तहसील फलोदी जिला जोधपुर में स्थित थी। वक्त भू–प्रबंध वर्णित काश्त भूमि कल्याणसिंह पुत्र बादरसिंह निष्फ एवं दलपसिंह रिडमलसिंह व भोपालसिंह पि. बादरसिंह बहिस्सा बराबर सरहद मौजा बरजासर तहसील फलोदी में पैमाइस होकर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अन्य खसरान की भूमि के साथ दर्ज अभिलेख की गई। कल्यागणसिंह लाऔलाद फौत होने पर कल्याणसिंह का 1/2 हिस्सा उनके भाई दलपतसिंह रिडमलसिंह व भोपालसिंह में निहित हो गया। इस कारण तीनों भाई वादग्रस्त भूमि के 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हो गये। खातेदार काश्तकार होने के कारण भोपालसिंह को अपना 1/3

23/1

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हिस्सा का बेचान हस्तांतरण करने का विधि अनुसार हक अधिकार था। परंतु भोपालसिंह ने विधि विरुद्ध तरीके से संपूर्ण वादग्रस्त भूमि का दिनांक 24.06.1977 को रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 के पक्ष में बेचाननामा कर दिया। उक्त बेचान के आधार पर नामांतरकरण सं. 144 स्वीकृत करवा दिया जबकि स्व. भोपालसिंह को अपने 1/3 हिस्से से ज्यादा अपीलांट के पूर्वज दलपतसिंह व रिडमलसिंह का 2/3 हिस्सा बेचान करने का कोई काननून अधिकार नहीं था। स्व. भोपालसिंह के द्वारा अपने 1/3 हिस्से से अधिक कृषि भूमि का किया गया बेचान वादीगण के हक अधिकारों के विरुद्ध प्रभावहीन शून्य, अवैध व निष्प्रभावी था, तथा रेस्पो. सं. 1 व 2 को भी 1/3 हिस्से से ज्यादा भूमि पर किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अपीलांट खातेदारी घोषणा का अधिकारी होने के कारण वाद बाबत खातेदारी घोषणा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर अपीलांट का वाद खारिज करने में भयंकर विधिक भूल की है। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारों के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा नहीं हुआ था, जो विधि विरुद्ध गलत पारिवारिक बंटवाड़ा बताकर नामांतरकरण सं. 93 स्वीकृत किया गया, उक्त नामांतरकरण सं. 93 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने नामांतरकरण निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया। नामांतरकरण सं. 93 निरस्त होने के साथ ही भोपालसिंह द्वारा दिनांक 24.06.1977 का बेचाननामा जो अपीलांट के 2/3 हिस्से का स्वतः ही कानूनन गैर कानूनी व निरस्त हो गया तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने पर वादग्रस्त भूमि पुनः पारिवारिक विभाजन के नामांतरकरण सं. 93 के पूर्व की स्थिति में नामांतरकरण सं. 253 के जरिए रिडमलसिंह व भोपालसिंह फोत होने पर वारिसान व दलपतसिंह के नाम अभिलेख में दर्ज की गई। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों पर कतई गौर नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि का नामांतरकरण सं. 93 निरस्त हो जाने पर वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम के बाद रेस्पो. सं. 1 व 2 ने गुप्त रूप से बाले बाले तहसीलदार फलोदी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उप तहसीलदार व तहसीलदार ने अपीलांट व अपीलांट के पूर्वजों को नोटिस सुनवाई का अवसर दिए बिना विधि विरुद्ध एवं अवैध तरीके से संपूर्ण वादग्रस्त भूमि का नामांतरकरण सं. 260 रेस्पोडेंट के नाम स्वीकृत कर दिया। जबकि संपूर्ण वादग्रस्त भूमि यानी अपीलांट के 2/3 हिस्से के खातेदारी भूमि का रेस्पोडेंट के नाम किसी भी तरीके नामांतरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। उपरोक्त नामांतरकरण संख्या 260 विधि व कानून के विरुद्ध होने के कारण शून्य व अवैध है। नामांतरकरण सं. 260 के आधार पर रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 को

23/1

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरुद्ध है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सन् 2012 में वाद प्रस्तुत कर दिया था जिसमें दिनांक 26.08.2012 को रेस्पो. की तामील होने पर जरिए अधिवक्ता का वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया परंतु सन् 2012 से अपीलाधीन निर्णय पारित होने तक उक्त वाद का रेस्पोडेंट ने कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया। अपीलांट की ओर से जवाबदावा बंद करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर रेस्पो. सं. 1 व 2 ने उक्त वाद लंबा करने की नियत से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया। जबकि सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करना कानूनन अनिवार्य है। शपथ पत्र के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने याग्य नहीं था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध एवं मनमाने तरीके से अपीलांट का वाद ही खारिज करने का अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। रेस्पो. सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई न्यायोचित कारण नहीं बताया जो वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं हो तथा न ही ऐसा कारण बताया जो आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. की परिधि में आता हो। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके सरसरी तौर पर अपीलांट का वाद खारिज कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में वर्णित किया है कि नामांतरणकरण सं. 144 भरा गया, उक्त बंटवाड़ा दिनांक 13.04.1972 के विरुद्ध वादीगण को अपील पेश करनी चाहिए थी ऐसा नहीं किया है। भोपालसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि का हस्तांरण किया है, जिससे भोपालसिह और उसके उत्तरजीवी विबंधित हैं। उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज विधि विरुद्ध होने पर निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था। परंतु ऐसा नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद विधि विरुद्ध पेश होना पाया जाता है। उपरोक्त संपूर्ण तथ्य पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात विधि एवं कानून का भली भांति अवलोकन किये बिना ही मनमाने तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि वाद में भली भांति स्पष्ट किया था कि पारिवारिक बंटवाड़ा के आधार पर नामांतरकरण सं. 93 स्वीकृत किया था उक्त नामांतरकरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने पर नामांतरकरण खारिज हो गया एवं राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम हो चुकी थी तथा भोपालसिंह को अपीलांट एवं इनके पूर्वजों के 2/3 हिस्से की भूमि को बेचान करने का कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं था उक्त बेचान विधि एवं कानून के विपरीत शून्य है। शून्य दस्तावेज

23/1

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के आधार पर रेस्पो. सं. 1 व 2 का कोई कानून हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उपरोक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरंदाज कर भयंकर विधिक भूल की है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कानूनन न्यायोचित नहीं है। रेस्पो. सं. 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र में जो उज्र व ऐतराज लिये वह उज्र ऐतराज जवाब दावा में लेने हेतु स्वतंत्र है जिस पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत होने पर वाद का गुणावगुण पर निर्णित किया जा सकता है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से अपने त्रुटिपूर्ण निर्णय के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आधार पर खारिज किया है। श्रीमान अपील न्यायालय हाजा को मात्र यह देखना है कि उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वादीगण का वाद खारिज किया जा सकता है या नहीं। आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद को खारिज करने के लिए मात्र दावे में अंकित तथ्यों को ही देखना था रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों को नहीं देखा जा सकता। इस प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेंट के द्वारा प्रकरण की पूरी मैरिट पर बहस की गई है जबकि केवल प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी पर ही तथ्य प्रस्तुत करने थे, परंतु उन्होंने एक भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया मात्र गुणावगुण पर ही बहस की एवं वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत किए जो उक्त वादग्रस्त भूमि से संबंधित ही नहीं हैं। अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1263, आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1076, आर.आर.टी. 2012(2) पेज 1357, आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1268, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 788, आर.आर.डी. 2008 पेज 423, 2018 (2) डीएनजे (राज) पेज 681, आर.आर.टी. 2010(2) पेज 1141 पेश किए । अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्यायहित में निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2017 को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का आदेश फरमावें।

5 रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी. चौधरी ने बहस में कथन किया कि सरहद थाटों की ढाणी तहसील फलोदी के खेत खसरा नंबर 473 रकबा 71 बीघा 12 बिस्वा भूमि का राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है। खसरा नं. 473 व अन्य खसरान का पारिवारिक बंटवारा दिनांक 13.04.1972 को तहसीलदार फलोदी के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। उक्त

23/9

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बंटवारा में खेत खसरा नं. 27, 56, 84, 86, 101, 25 व 26 के मध्य हुआ था व खसरा नं. 473 का संपूर्ण रकबा भोपालसिंह के हिस्से में रखा गया था। उक्त बंटवारे की पालना में नामांतरकरण सं. 93 खोला गया जो बाद निर्णय स्वीकृत हुआ। उक्त नामांतरकरण के तहत खसरा नंबर 473 रकबा 71 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नं. 27 रकबा 85 बीघा 7 बिस्वा माफिक बंटवारा भोपालसिंह के नाम दर्ज हुई। स्वयं भोपालसिंह ने म्यूटेशन सं. 93 की अपील की थी। इस दौराने दोनो पक्षों ने भूमियों का बेचान किया था व म्यूटेशन सं. 115, 98 व 99 दर्ज किए गये। इससे यह प्रमाणित होता है कि उभयपक्षकारान द्वारा बंटवारे को मान लिया था व उसके आधार पर अपने–अपने हिस्से में आने वाली भूमियों का बेचान भी किया था। रेस्पोडेंट को भोपालसिंह ने जो बेचान किया था उसके आधार पर रेस्पोडेंट के नाम म्यूटेशन सं. 144 से भूमि आई है। म्यूटेशन सं. 93 की अपील में भी भोपालसिंह ने रेस्पोडेंट्स को पक्षकार नहीं बनाया। म्यूटेशन सं. 144 अभीतक निरस्त नहीं हुआ है भोपालसिंह ने स्वयं ही बंटवाड़ा सही मानते हुए उक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान रेस्पोडेंट को किया था जिससे भोपालसिंह व उसके उत्तरजीवी अपने ही कृत्य एवं वचन से विबंधित हैं । खातेदार भोपालसिंह द्वारा बेचान की गई भूमि का पंजीबद्ध दस्तावेज विधि विरुद्ध होने से वादीगण को पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था परंतु ऐसा नहीं करने के कारण वादीगण द्वारा वाद विधि विरुद्ध पेश किया जाना अधीनस्थ न्यायालय ने सही माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी के वाद सही खारिज किया है। अतः अपील खारिज योग्य है। रेस्पोंडेंट सं. 1 से 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किए। तदनुसार अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 4 की ओर से अधिवक्ता श्री एन.आर बुढ़ानिया ने अपनी बहस में कथन किया कि बैंक के हितों को सुरक्षित रखते हुए उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

रेस्पो. सं. 5 के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश भादू ने अपनी बहस में अपीलांट अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता के अधिवक्ता का तर्क यह है कि प्रकरण में वास्तविक व हकीकत तथ्य इस प्रकार हैं कि गांव थाटों की ढाणी (बरजासर) तहसील फलोदी के खेत खसरा नं. 473 रकबा 71 बीघा

23/10

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

12 बिस्वा स्थित है। उक्त कृषि भूमि वक्त सेटलमेंट में कल्याणसिंह पुत्र बादरसिंह 1/2 एवं दलपतसिंह, रिडमलसिंह व भोपालसिंह पुत्रगण बादरसिंह बहिस्सा बराबर राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2015–18 में दर्ज है। जो वाद के साथ पेश है। कल्याणसिंह पुत्र श्री बादरसिंह लाऔलाद फोत होने पर उसका 1/2 हिस्सा उनके भाई दलपतसिंह, रिडमलसिंह व भोपालसिंह में निहित हुआ। इस तरह इन तीनों भाईयों का उक्त कृषि भूमि में इन तीनों भाईयों का 1/3–1/3 हिस्सा व हक अधिकार था। जमाबंदी संवत 2022–25 में सहखातेदार काश्तकार दर्ज हैं। परंतु गलत पारिवारिक विभाजन के आधार पर नामांतरकरण सं. 3/93 के द्वारा संपूर्णवाद ग्रस्त भूमि की खातेदारी विधि विरुद्ध तरीके से भोपालसिंह पुत्र बादरसिंह के नाम दर्ज कर दी। उक्त नामांतरकरण 93 (3/93) के विरुद्ध भोपालसिंह ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो विचाराधीन अपील सं.त्र 3/75 है। भोपालसिंह ने विधि विरुद्ध एवं अवैध तरीके से संपूर्ण वादग्रस्त भूमि का दिनांक 24.06.1977 को रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 को बेचान कर दिया जबकि संपूर्ण वादग्रस्त भूमि का भोपालसिंह को बेचान करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं था क्योंकि 2/3 हिस्से पर दलपतसिंह व रिडमलसिंह का हक व अधिकार था। दलपतसिंह व रिडमलसिंह का हिस्सा भोपालसिंह को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। इस कारण उक्त बेचान अवैध व शून्य है एवं उक्त अवैध बेचान के आधार पर रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 के नाम नामांतरकरण सं. 144 भी स्वीकृत किया गया तथा भोपालसिंह ने ही नामांतरकरण सं. 93 (3/93) के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। विचाराधीन अपील हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान इत्यादि कानूनन नहीं किया जा सकता है। ऐसा बेचान व हस्तांतरण शुरू से ही अवैध व शून्य होता है।

भोपालसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील 3/75 दिनांक 12.02.86 को स्वीकार की जाकर नामांतरकरण सं. 93 (3/93) को निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। नामांतरकरण सं. 93 (3/93) न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने पर नामांतरकरण सं. 93 के पश्चात के नामांतरकरण एवं राजस्व अभिलेख में दर्ज संपूर्ण इन्द्राज स्वतः ही कानूनन निरस्त हो जाते हैं एवं राजस्व अभिलेख में नामांतरकरण सं. 93 के पूर्व के इन्द्राज व अभिलेख बहाल हो गए थे तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के निर्णय दिनांक 12.02.1986 की पालना में तहसीलदार फलोदी ने पारिवारिक विभाजन के नामांतरकरण सं. 93 के पूर्व की स्थिति में नामांतरकरण सं. 253 के जरिए रिडमलसिंह का देहांत होने पर उनके वारिसान अपीलांट्स व भोपालसिंह का देहांत होने पर उनके वारिसान सोहन कंवर वगै. तथा

23/1
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दलपतसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज की गई। नामांतरकरण सं. 253 की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ संलग्न है। जब तहसीलदार फलोदी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश की पालना में नामांतरकरण सं. 253 स्वीकार कर दुबारा तहसीलदार फलोदी को और नया आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था क्योंकि अपीलीय न्यायालय के आदेश की पालना एक बार ही की जाती है न कि बार–बार। इसके उपरांत उपतहसीलदार फलोदी ने विधि विरुद्ध तरीके से रेस्पो. सं. 1 व 2 के नाम नामांतरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया एवं ग्राम पंचायत के सरपंच ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामांतरकरण सं. 260 स्वीकृत कर दिया। जबकि नामांतरकरण सं. 253 बहाल करते हुए नया नामांतरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अगर रेस्पो. सं. 1 व 2 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश दिनांक 12.02.86 व नामांतरकरण सं. 253 के विरुद्ध किसी प्रकार का उज्र ऐतराज था तो इनके विरुद्ध चारा जोही करनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं की। इस कारण आदेश दिनांक 12.02.86 व नामांतरकरण सं. 253 अंतिम हो चुके हैं इसलिए रेस्पोडेंट्स को वर्तमान में उक्त आदेश बाबत उज्र ऐतराज करने का कोई काननून अधिकार नहीं हैं। अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था जो माननीय राजस्व मण्डल, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय व नजीरों में स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि घोषणा के वाद को राजस्व न्यायालय के द्वारा ही सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उसके उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति अवलोकन किए बिना ही वादीगण वाद खारिज कर दिया एवं अपीलाधीन निर्णय में वर्णित किया कि नामांतरकरण सं. 3/93 भरा गया एवं नामांतरकरण सं. 144 भरा गया उक्त बंटवारा गया दिनांक 13.04.1972 के विरुद्ध वादीगण को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी ऐसा वादीगण द्वारा नहीं किया गया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन ही नहीं किया गया। जबकि नामांतरकरण संख्या 3/93 को निर्णय दिनांक 12.02.86 के द्वारा निरस्त किया जा चुका था तो नामांतरकरण सं. 3/93 व 144 अस्तित्व में ही नहीं रहे। इसके उपरांत उक्त म्यूटेशन के आधार पर वादीगण का वाद खारिज किया है जो अपीलाधीन निर्णय बहाल रखे जाने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आधार पर खारिज किया है। तो माननीय अपीलीय न्यायालय को मात्र यह देखना है कि उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वादीगण का वाद खारिज किया जा सकता है या नहीं। तथा रेस्पोडेंट

23/9

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता को भी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर ही तथ्य प्रस्तुत करने थे परंतु उन्होंने एक भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं, मात्र गुणावगुण पर ही बहस की एवं वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि के दस्तावेजात प्रस्तुत किये जो वादग्रस्त भूमि से संबंधित ही नहीं हैं।

9 इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के आधार पर यह निर्णय पारित किया है कि वकील प्रतिवादी की ओर से फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किया जिसमें पारिवारिक बंटवारे की प्रति पेश की जिसमें वादग्रस्त भूमि व अन्य खसरों का पारिवारिक बंटवारा हो चुका है। पारिवारिक बंटवारे के माफिक बरजासर के नामांतरकरण संख्या 3/93 भरा गया जिसकी प्रति पेश की है। इस बंटवारे के आधार पर भोपालसिंह ने खसरा नं. 473 रकबा 71 बीघा 12 बिस्वा की भूमि का बेचान किया जिस बेचान का नामांतरकरण सं. 144 भरा गया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह फाइंडिंग दी है कि उक्त बंटवाड़ा दिनांक 13.04.1972 के विरुद्ध वादीगण को सक्षम न्यायालय में अपील पेश करनी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने दूसरी फाइंडिंग यह दी है कि खातेदार भोपालसिंह द्वारा बेचान की गई भूमि का पंजीबद्ध दस्तावेज विधि विरुद्ध होने पर वादीगण को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त फाइंडिंग के आधार पर विधि विरुद्ध अर्थात कानून से बाधित मानते हुए वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए खारिज कर दिया है। इस संबंध में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में यह स्पष्ट किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि वक्त सेटलमेंट में कल्याणसिंह पुत्र बादरसिंह 1/2 एवं दलपतसिंह, रिडमलसिंह व भोपालसिंह पुत्रगण बादरसिंह बहिस्सा बराबर राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2015–18 में दर्ज थी। कल्याणसिंह पुत्र श्री बादरसिंह लाऔलाद फोत होने पर उसका 1/2 हिस्सा उनके भाई दलपतसिंह, रिडमलसिंह व भोपालसिंह में निहित हुआ। इस तरह इन तीनों भाईयों का उक्त कृषि भूमि में इन तीनों भाईयों का 1/3–1/3 हिस्सा व हक अधिकार था। जमाबंदी संवत 2022–25 में सहखातेदार काश्तकार दर्ज हैं। परंतु गलत पारिवारिक विभाजन के आधार पर नामांतरकरण सं. 3/93 के द्वारा संपूर्णवाद ग्रस्त भूमि की खातेदारी विधि विरुद्ध तरीके से भोपालसिंह पुत्र बादरसिंह के नाम दर्ज कर दी। उक्त नामांतरकरण 93 (3/93) के विरुद्ध भोपालसिंह ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो विचाराधीन अपील सं.त्र 3/75 है। भोपालसिंह ने विधि विरुद्ध एवं अवैध तरीके से संपूर्ण वादग्रस्त भूमि का दिनांक 24.06.1977 को रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 को बेचान कर दिया जबकि संपूर्ण वादग्रस्त भूमि का भोपालसिंह को बेचान करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं था

23/9

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

क्योंकि 2/3 हिस्से पर दलपतसिंह व रिडमलसिंह का हक व अधिकार था। दलपतसिंह व रिडमलसिंह का हिस्सा भोपालसिंह को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। इस कारण उक्त बेचान अवैध व शून्य है एवं उक्त अवैध बेचान के आधार पर रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 के नाम नामांतरकरण सं. 144 भी स्वीकृत किया गया तथा भोपालसिंह ने ही नामांतरकरण सं. 93 (3/93) के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। विचाराधीन अपील हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान इत्यादि कानूनन नहीं किया जा सकता है। ऐसा बेचान व हस्तांतरण शुरू से ही अवैध व शून्य होता है। भोपालसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील 3/75 दिनांक 12.02.86 को स्वीकार की जाकर नामांतरकरण सं. 93 (3/93) को निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। नामांतरकरण सं. 93 (3/93) न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने पर नामांतरकरण सं. 93 के पश्चात के नामांतरकरण एवं राजस्व अभिलेख में दर्ज संपूर्ण इन्द्राज स्वतः ही कानूनन निरस्त हो जाते हैं एवं राजस्व अभिलेख में नामांतरकरण सं. 93 के पूर्व के इन्द्राज व अभिलेख बहाल हो गए थे तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के निर्णय दिनांक 12.02.1986 की पालना में तहसीलदार फलोदी ने पारिवारिक विभाजन के नामांतरकरण सं. 93 के पूर्व की स्थिति में नामांतरकरण सं. 253 के जरिए रिडमलसिंह का देहांत होने पर उनके वारिसान अपीलांट्स व भोपालसिंह का देहांत होने पर उनके वारिसान सोहन कंवर वगै. तथा दलपतसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज की गई। जब तहसीलदार फलोदी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश की पालना में नामांतरकरण सं. 253 स्वीकार कर दुबारा तहसीलदार फलोदी को और नया आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था क्योंकि अपीलीय न्यायालय के आदेश की पालना एक बार ही की जाती है न कि बार–बार। इसके उपरांत उपतहसीलदार फलोदी ने विधि विरुद्ध तरीके से रेस्पो. सं. 1 व 2 के नाम नामांतरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया एवं ग्राम पंचायत के सरपंच ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामांतरकरण सं. 260 स्वीकृत कर दिया। जबकि नामांतरकरण सं. 253 बहाल करते हुए नया नामांतरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अगर रेस्पो. सं. 1 व 2 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश दिनांक 12.02.86 व नामांतरकरण सं. 253 के विरुद्ध किसी प्रकार का उज्र ऐतराज था तो इनके विरुद्ध चारा जोही करनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं की। इस कारण आदेश दिनांक 12.02.86 व नामांतरकरण सं. 253 अंतिम हो चुके हैं इसलिए रेस्पोडेंट्स को वर्तमान में उक्त आदेश बाबत उज्र ऐतराज करने का कोई काननून अधिकार नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में तथ्य एवं विधि के मिश्रित बिंदु निहित हैं

23/1

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिन्हे दावे में विस्तृत साक्ष्य से ही निर्णित किया जा सकता है। यह प्रकरण केवल आदेश 7 नियम 11 के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र पर दावे को तभी खारिज किया जा सकता है जब दावे या अभिवचनों वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद किसी विधि द्वारा बाधित होता। प्रस्तुत प्रकरण में वाद विधि द्वारा बाधित है या नहीं इसका विवेचन किया जाना समीचीन होगा। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा प्रारंभिक स्तर पर वाद को खारिज किया जा सकता है, यदि (क) वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया हो (ख) अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो। (ग) वाद पत्र अपर्याप्त स्टांप पत्रों पर लिखा गया हो। (घ) वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो (ङ) वाद पत्र डुप्लीकेट में प्रस्तुत नहीं करना अथवा (च) नियम 9 की अनुपालना नहीं की गई हो।

प्रस्तुत प्रकरण क्षेत्राधिकार से बाहर होने के आधार पर विधि द्वारा बाधित मानकर खारिज किया है। लेकिन आदेश 7 नियम 11 के उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से जाहिर है कि आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के आधार पर वाद को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा जिस आधार पर वाद को राजस्व न्यायालय में विचारण नहीं माना गया है उसका अर्थ वाद को विधि से वर्जित मान कर खारिज किया गया है। सुस्थापित स्थिति यह है कि जब न्यायालय द्वारा वाद का परीक्षण आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत इस आधार पर किया जा रहा हो कि वाद विधि द्वारा वर्जित है अर्थात परीक्षण का आधार आदेश 7 नियम 11 का उपनियम (घ) हो तो उपनियम (घ) की शब्दावली "जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है" पर ध्यान देना आवश्यक है जिसका आशय यह है कि वाद पत्र के "कौनसे अभिकथन" के कारण दावा "किस विधि" से बाधित है। अगर वाद पत्र के किसी भी अभिकथन से दावा विधि से वर्जित नहीं है तो आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में वर्णित ऐसे तथ्यों के आधार पर दावे को प्राथमिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है, जो कि वाद पत्र के अभिकथनों में वर्णित नहीं है। वादोत्तर, प्रतिवाद अथवा आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में वर्णित ऐसे तथ्यों/अभिवचनों का कोई महत्व नहीं है जो कि वाद पत्र के अतिरिक्त है। आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अथवा वादोत्तर में वर्णित अतिरिक्त कथनों/तथ्यों के आधार पर पर विवाद्यक विरचित करते समय अलग से विवाद्यक विररचित किया जा सकता है जिसका निर्णय साक्ष्य एवं दस्तावेज के विवेचन के आधार पर किया जाएगा। ऐसे विवाद्यक निर्णय अन्य विवाद्यकों के साथ भी किया जा सकता है। अथवा अलग से अन्य विवाद्यकों से पूर्व भी किया जा सकता है।

23/10

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किंतु इसके लिए साक्ष्य एवं दस्तावेज का अवसर देना और उनकी विवेचना आवश्यक है।

इस प्रकार किसी भी पक्षकार को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत वाद पत्र को खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। उक्त प्रावधान केवल न्यायालय के लिए है। हितबद्ध पक्षकार न्यायालय का ध्यान जरिए प्रार्थना पत्र आकर्षित कर सकता है किंतु न्यायालय द्वारा इस बिंदु का निर्णय केवल वाद पत्रों के अभिकथनों के आधार पर किया जाना चाहिए।

उपरोक्तानुसार आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों का सारांश है कि न्यायालय द्वारा प्रारंभिक स्तर पर वाद को खारिज किया जा सकता है, यदि (क) वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया हो (ख) अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो। (ग) वाद पत्र अपर्याप्त स्टांप पत्रों पर लिखा गया हो। (घ) वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो (ङ) वाद पत्र डुप्लीकेट में प्रस्तुत नहीं करना अथवा (च) नियम 9 की अनुपालना नहीं की गई हो।

हस्तगत प्रकरण में वादी के वाद पत्र को समग्र रूप से पढ़ने से जाहिर है कि वादी का वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसका आधार यह है कि अपीलांट वादीगण वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार रिड़मलसिंह व दलपतसिह के वारिसान हैं व वादग्रस्त भूमि के 2/3 हिस्से के खातेदार घोषित कराने के अधिकारी हैं। अपीलांट वादीगण की 2/3 हिस्से की भूमि को बेचान करने का 1/3 हिस्से के खातेदार भोपालसिह को कोई अधिकार नहीं था। जिसके आधार पर अपीलांट खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा लेकर आये हैं। वादीगण अपने वाद को साबित कर पाते है या नही, यह प्रश्न वर्तमान में विचारणीय नहीं है। वर्तमान में केवल विचारणीय प्रश्न केवल यह है कि वादीगण का वाद जो कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का है, वह राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है या नहीं ?

माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर हमारा मत है कि किसी भी वाद में न्यायालय का क्षेत्राधिकार वाद के सारभूत अभिकथनों व चाहे गए मुख्य अनुतोष के आधार पर किया जाना चाहिए। क्षेत्राधिकार का आधार यह नहीं हो सकता कि वाद में किए गए अभिकथनों को साबित करने में वादी सफल हो पाएगा या नहीं और कि चाहा गया अनुतोष वादी को मिल सकता है या नहीं? न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल इस आधार पर निर्धारित होता है कि अगर वादी का वाद साबित हो जाता है तो चाहा गया अनुतोष देने में न्यायालय सक्षम है या नहीं। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट वादीगण वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार रिड़मलसिंह व दलपतसिह के वारिसान हैं व वादग्रस्त भूमि के 2/3 हिस्से के

23/10

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदार घोषित कराने के अधिकारी हैं। अपीलांट वादीगण की 2/3 हिस्से की भूमि को बेचान करने का 1/3 हिस्से के खातेदार भोपालसिह को कोई अधिकार नहीं था। जिसके आधार पर अपीलांट खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा लेकर आये हैं। दावा एवं उसमें वर्णित तथ्यों के अनुसार ऐसा वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, व 92ए के अंतर्गत आता है और उक्त अधिनियम की धारा 207 सपठित तृतीय अनुसूची अनुसार ऐसे वाद के विचारण का और चाहे गए अनुतोष देने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। इस न्याययालय के सुविचारित मत अनुसार आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा वादी का दावा क्षेत्राधिकार एवं पोषणीयता के आधार पर खारिज करना एक त्रुटिपूर्ण निर्णय है। अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2014(2) आर.आर.टी. 1263 व आर.आर.डी. 14.07.2008 पेज 423 के तथ्य लागू होते हैं शेष न्यायिक दृष्टांतो के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं।

10 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 निरस्त किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वादीगण के वाद में न्यायहित में जवाबदावा लिया जाकर विधिअनुसार तनकीयात कायम की जावें। तनकीयात के आधार पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय एवं डिक्री पारित की जावे।

23/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर